न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 43—पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 6—11—2015 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र सरदारपुर जिला धार, प्रकरण कमांक 41/अपील/2014—15.

....

1—राजेन्द्र कुमार पिता स्व0श्री पुरण भारती
2—प्रेम भारती पिता स्व0 श्री पुरण भारती
दोनों निवासी ग्राम खुटपला तहसील सरदारपुर
जिला धार

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1—नागु पिता स्व0श्री शंकर भारती
निवासी ग्राम वणी तहसील सरदारपुर
जिला धार
2—मनोहर पिता स्व0 श्री पुरण भारती
निवासी ग्राम खुटपला तहसील सरदारपुर
जिला धार

.... अनावेदकगण

....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक—आवेदकगण
श्री पी0जी0पाठक, अभिभाषक—अनावेदकगण

....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 28/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6—11—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव कमांक 4 में पारित आदेश दिनांक 15–5–2002 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वर्ष 2015 में लगभग 12 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई तथा साथ विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 41/2014–15/अपील दर्ज करते हुये दिनांक 6–11–2015 को अंतरिम आदेश पारित किया जाकर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये है :–

(1) अनावेदक कमांक 1 की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तत प्रथम अपील लगभग 12 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात् प्रस्तुत की गई थी और विलम्ब का समाधानकारक कारण भी नहीं दर्शाया गया था, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य होकर उनका एक ही गॉव में स्थित प्रश्नाधीन भूमियों पर सभी अपने अपने हिस्सों पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे होकर उन्हें उक्त भूमियों के राजस्व अभिलेख में दर्ज हुवे नामों की जानकारी 12 वर्षो तक नहीं रहे । इस तथ्य पर बिना कोई विचार किये विपक्षी द्वारा असत्य आधारों व अविश्वसनीय कथनों पर प्रस्तुत अपील को समयावधि में मान्य किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने गंभीर वैधानिक त्रुटि की है ।

(3) उभयपक्ष की सहमति से पारित बटवारा एवं नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं होने के बावजूद भी अपील समयावधि में मान्य कर सुनवाई में लेने में अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1998 (ii) एमपीडब्ल्यूएन 190, 1999 (i) एमपीडब्ल्यूएन 7, 2000 (i) एमपीडब्ल्यूएन 55, 2010 आरएन 140 प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि बटवारा प्रकरण में राजस्व न्यायालय को स्वत्व के प्रश्न का विनिश्चय करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिप्रार्थी के हिस्से तथा स्वत्व का विनिश्चय कर भूमि आवेदक कमांक 1 के नाम पर अंकित कर बटवारा करने में गंभीर कानूनी भूल की गई है, ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश अधिकारिता बाह्य होने से निरस्त होने योग्य है तथा अधिकारिता बाह्य आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने में अवधि विधान की कोई बाधा नहीं आती है । तर्क के समर्थन में 2005 आरएन 205 व 1991 आरएन 290 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अनावेदक का धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की गई है। यह भी आधार लिया गया कि नामान्तरण पंजी पर बटवारा नहीं किया जा सकता है इसलिये नामान्तरण पंजी पर पारित बटवारा अवैध व शून्य है । तर्क के समर्थन में 1994 आरएन 302 व 1995 आरएन 27 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा आवेदकगण को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये उसके पीठ पीछे नामान्तरण आदेश पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में आवेदकगण को ठहराव प्रस्ताव कमांक 4 पर

पारित आदेश दिनांक 15–5–2002 की जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब क्षमा करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्षेत्र सरदारपुर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर